

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सेवानिवृत्त वनरक्षी/वनपाल/समतुल्य एवं समकक्ष योग्यता धारित करने वाले अन्य विभाग के इस स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी (जिन्हें कृषि, बागवानी, वनरोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो)/सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की संविदा के आधार पर वनपाल के पद पर नियोजन हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत में झारखण्ड राज्य के अधीन वनपाल के 400 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त वनरक्षी/वनपाल/समतुल्य एवं समकक्ष योग्यता धारित करने वाले अन्य विभाग के इस स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी (जिन्हें कृषि, बागवानी, वनरोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो)/सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर वनपाल के पद पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. पूर्व में जो अभ्यर्थी आवेदन भेज चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है।
2. कोटिवार रिक्तियों की सूचना निम्नवत् है :-

कोटि	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अ0 पि0 वर्ग (अनु-1)	पि0 वर्ग (अनु-2)	आ0 क0 वर्ग	कुल रिक्ति
रिक्ति	160	40	104	32	24	40	400

3. आयु सीमा:- 01 जनवरी, 2020 को आवेदक की आयु अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए।
4. विस्तृत विज्ञापन एवम् आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट forest.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित पदाधिकारी के दूरभाष संख्या - 8987790016 पर सम्पर्क द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. आवेदन की अंतिम तिथि 30.06.2020 (अपराह्न) है। मात्र स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के संध्या 5 बजे तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

ह0/-

मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

वनपाल के 400 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त वनरक्षी/वनपाल/समतुल्य एवम् समकक्ष योग्यता धारित करने वाले अन्य विभाग के इस स्तर के पदाधिकारी (जिन्हें कृषि, बागवानी, वनरोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो)/सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के अस्थायी रूप से नियोजन हेतु सूचना

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत वनपाल के कार्यरत बल के अतिशय कमी के फलस्वरूप वनों की सुरक्षा एवं विकास कार्य में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 2851 दिनांक 29.07.2019 के निदेशानुसार कार्यरत में अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत वनपाल के 400 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त वनरक्षी/वनपाल/समतुल्य एवम् समकक्ष योग्यता धारित करने वाले अन्य विभाग के इस स्तर के पदाधिकारी (जिन्हें कृषि, बागवानी, वनरोपण जैसे कार्यों का अनुभव प्राप्त हो)/सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के अस्थायी रूप से नियोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. पूर्व में जो अभ्यर्थी आवेदन भेज चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है।
2. उम्मीदवार द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ सरकारी पहचान पत्र/शैक्षणिक योग्यता/आयु प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आरक्षण कोटि का दावा करने वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त सिविल सर्जन द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार शारीरिक रूप से वनपाल के उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम है।
3. 01 जनवरी, 2020 को आवेदक की अधिकतम आयु 64 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक को अपने आवेदन के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है, उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही अथवा पेंशन नियमावली के नियम-139 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं चल रही है, उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप विभाग के विचाराधीन नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
5. आवेदक को अपनी सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष पूर्व का सेवा अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
6. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के आवेदनों की समीक्षा कर, चयनित उम्मीदवारों की लघु-सूची के अनुसार उन्हें मौखिक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा सेवा अभिलेख एवम् मौखिक साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जायेगा। उक्त के निमित्त सेवा अभिलेख एवम् मौखिक साक्षात्कार हेतु अंको का अनुपात 75:25 होगा।
7. उम्मीदवारों के अन्तिम रूप से चयन का पूर्ण अधिकार चयन हेतु गठित समिति को होगा।

8. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रथम बार में सिर्फ एक वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकेगा।
9. नियोजित वनपालों का मासिक मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक 1243 दिनांक 28.04.2016, वित्त विभागीय परिपत्र सं० - 4569, दिनांक - 09.07.2002 एवं अनुवर्ती आदेशों के अनुसार देय होगी।
10. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः विनियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रूप में नहीं है।
11. नियोजित वनपालों का प्रथम पदस्थापन सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार राज्य के किसी भी प्रमण्डल/ कार्यालय में किया जा सकेगा।
12. नियोजित वनपालों द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनके नियंत्री पदाधिकारी (संबंधित वन संरक्षक) के आदेश से सेवामुक्त किया जा सकेगा। साथ ही कालान्तर में प्रोन्नति द्वारा पर्याप्त पदाधिकारी उपलब्ध होने पर समान संख्या में संविदा के पदाधिकारियों को उनके कार्य प्रदर्शन (Performance) के आधार पर सेवा मुक्त किया जा सकेगा।
13. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
14. आवेदन-पत्र सभी कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची कार्यालय, वन भवन, ब्लॉक - बी, डोरण्डा, राँची- 834002 में मात्र निबंधित डाक द्वारा दिनांक 30.06.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. आवेदन-पत्र के लिफाफे के उपर बड़े-बड़े अक्षरों में "वनपाल के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन-पत्र" लिखा होना चाहिए।
16. आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाईट forest.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है या निर्धारित मानक आवेदन-पत्र कम्प्यूटर से टंकित कराकर प्रयोग किया जा सकता है।

कोटिवार रिक्तियों की सूचना निम्नवत् है :-

कोटि	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अ० पि० वर्ग (अनु-1)	पि० वर्ग (अनु-2)	अ० क० वर्ग	कुल रिक्ति
रिक्ति	160	40	104	32	24	40	400

उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या 3464 दिनांक 03.10.2001 के द्वारा महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

ह०/-
मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची।

आवेदन-पत्र

विज्ञापन संख्या—

1. आवेदक का नाम :—
(देवनागरी लिपि में साफ-साफ)
—
(बड़े रोमन अक्षरों में साफ-साफ)
2. पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए) :—
3. कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवा निवृत्त हुए) :—
4. जन्म तिथि :—
5. शैक्षणिक योग्यता :—
6. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :—
7. सेवानिवृत्ति की तिथि :—
8. सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन :—
9. पेंशन की स्थिति (PPO, अगर निर्गत हो) :—
10. (i) सेवा अवधि में कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही/निगरानी का मामला वर्तमान में विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख :—
(ii) सेवाकाल में कोई दंड अधिरोपित हुआ हो, तो उसका विवरण :—
11. कोई आपराधिक मामला यदि वर्तमान में विचाराधीन हो, तो उसका उल्लेख करें :—
12. स्थायी पता :— ग्राम/मोहल्ला—
पोस्ट ऑफिस— थाना—
जिला— पिन कोड— राज्य—
13. पत्राचार पता :— ग्राम/मोहल्ला—
पोस्ट ऑफिस— थाना—
जिला— पिन कोड— राज्य—
14. मोबाईल नं० :—
15. ई-मेल :—
16. आधार नं० :—
17. तीन जिलों का विकल्प जहाँ कार्य करने को इच्छुक हो :— (i)
(ii)
(iii)

पासपोर्ट
साईज रंगीन
फोटो

उदघोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण-पत्र सही हैं। मिथ्या पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी एवं संविदा बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी फौजदारी मुकदमे में आरोप पत्रित/संदिग्ध/दण्डित हुआ/हुई/नहीं हुआ/नहीं हुई हूँ।

दिनांक—

आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्न किये जाने वाले अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्रों की सूची :—

- I. सरकारी पहचान पत्र।
- II. शैक्षणिक योग्यता।
- III. आयु प्रमाण-पत्र।
- IV. जाति प्रमाण-पत्र।
- V. सिविल सर्जन द्वारा विहत प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
- VI. अन्य प्रमाण-पत्र।

दिनांक—

आवेदक का हस्ताक्षर